भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4082
12 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

पीडीएस के लाभार्थी

4082. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत लोगों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक पीडीएस केंद्र पर व्यय की गई निधि का योजनावार और राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त राज्यों सहित पूरे देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हटाए गए या स्वयं बाहर निकलने वाले लोगों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): विभाग मध्य प्रदेश सहित उन राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करता है जिन्होंने विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति को चुना है, ताकि भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण किया जा सके। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा राज्यों को केंद्रीय पूल के लिए सुपुर्द किए गए खाद्यान्न की मात्रा के लिए निधि भी जारी की जाती है। आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी), जिस पर राज्यों को खाद्यान्न जारी किया जाता है, के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति एफसीआई और डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी के रूप की जाती है। डीसीपी राज्यों और एफसीआई को जारी की गई खाद्य सब्सिडी वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार होती है। हरियाणा और राजस्थान, जो डीसीपी राज्य नहीं हैं, एफसीआई को राज्य द्वारा सुपुर्द किए गए खाद्यान्न के लिए सीधे एफसीआई से धनराशि प्राप्त करते हैं। पीएमजीकेएवाई के तहत पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 06.08.2026 तक) के दौरान राज्यों को जारी की गई खाद्य सब्सिडी का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

...2/-

इसके अतिरिक्त, "एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता" योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और प्रबंधन, एफपीएस डीलरों के मूल मार्जिन और एफपीएस डीलरों के अतिरिक्त मार्जिन से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए धनराशि जारी की जाती है। इस योजना के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान हटाए गए अपात्र राशन कार्डों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 12.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 4082 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	2022	2023	2024	2025	2026
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	59,751	61,660	59,374	61,330	59,943
2	आंध्र प्रदेश	2,72,16,706	2,68,23,000	2,68,23,000	2,68,23,000	2,68,23,000
3	अरुणाचल प्रदेश	7,90,149	8,71,000	8,71,000	8,71,000	8,35,600
4	असम	1,91,13,955	2,29,02,389	2,31,58,866	2,48,95,011	2,47,95,526
5	बिहार	8,78,09,595	8,71,16,000	8,38,00,818	8,49,92,572	8,15,60,965
6	चंडीगढ़	31,2570	3,23,354	3,55,674	3,41,821	3,23,863
7	छत्तीसगढ	2,00,25,662	2,00,00,746	1,99,21,016	1,98,62,836	2,00,13,615
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2,69,233	2,68,463	2,72,704	2,62,705	2,63,037
9	दिल्ली	72,78,300	72,78,000	72,77,742	72,77,759	72,03,523
10	गोवा	5,50,775	4,85,754	4,79,079	4,75,988	4,27,991
11	गुजरात	3,65,80,338	3,72,50,062	3,82,84,000	3,46,62,355	3,39,00,368
12	हरियाणा	1,21,44,184	1,26,49,000	1,26,49,000	1,26,49,000	1,26,49,000
13	हिमाचल प्रदेश	30,39,920	36,82,000	29,16,512	28,42,349	28,41,476
14	जम्मू और कश्मीर	65,91,225	66,47,484	66,53,230	67,47,183	68,49,967
15	झारखंड	2,67,00,527	2,64,25,000	2,63,99,419	2,63,59,428	2,63,63,132
16	कर्नाटक	4,03,51,902	4,01,93,000	4,01,93,000	4,01,93,000	4,01,93,000
17	केरल	1,51,23,924	1,52,26,706	1,50,61,242	1,48,36,824	1,54,80,000
18	लद्दाख	1,22,150	1,24,885	1,23,239	1,14,928	1,12,472
19	लक्षद्वीप	22,347	22,000	22,000	22,000	19,971
20	मध्य प्रदेश	5,10,14,671	5,26,52,028	5,46,42,000	5,36,23,491	5,17,61,115
21	महाराष्ट्र	6,49,33,968	6,65,71,685	6,84,32,163	6,80,73,038	6,78,54,698
22	मणिपुर	1,97,1573	20,52,296	20,92,507	21,10,631	21,09,004
23	मेघालय	21,45,055	21,14,904	21,16,248	21,15,609	21,22,538
24	मिजोरम	6,67,345	6,96,507	6,96,396	7,06,000	7,02,994
25	नागालैंड	11,59,673	11,64,722	12,24,649	11,55,588	11,10,821
26	ओडिशा	3,24,75,946	3,25,02,104	3,23,92,303	3,25,64,555	3,21,38,801
27	पुद्दुचेरी	6,35,751	6,34,000	6,34,000	6,34,000	6,34,000
28	पंजाब	1,57,60,065	1,41,51,000	1,41,51,000	1,41,51,000	1,41,51,000
29	राजस्थान	4,23,80,383	4,37,84,306	4,36,96,914	4,37,41,827	4,39,32,340
30	सिक्किम	3,80,775	3,81,502	3,83,502	3,72,205	3,77,271
31	तमिलनाडु	3,52,35,909	3,64,70,000	3,60,35,078	3,64,65,678	3,64,70,000
32	तेलंगाना	1,90,94,910	1,91,70,000	1,91,70,000	1,91,70,000	1,91,24,872
33	त्रिपुरा	24,27,512	24,42,730	24,35,165	23,35,070	23,34,431
34	उत्तराखंड	57,74,673	60,73,150	60,79,177	60,23,240	60,10,842
35	उत्तर प्रदेश	13,88,56,128	15,04,20,384	14,87,91,087	14,75,12,166	14,70,91,793
36	पश्चिम बंगाल	6,00,11,892	5,99,62,436	6,01,84,000	5,98,50,422	5,99,15,298
कुल		**77,90,29,442**	**79,95,94,257**	**79,84,77,104**	**79,48,95,609**	**78,85,58,267**

अनुबंध–I।

लोक सभा में दिनांक 12.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 4082 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27 (दिनांक 06.08.2026 की स्थिति के अनुसार)**
1	असम [क]	-	-	-	-	94.2	
2	बिहार	7671.9	10966.1	6557.64	9725.4	8885.76	2503.79
3	पंजाब	2047.53	1202.49	2064.56	2572.72	2584.29	507.82
4	मध्य प्रदेश	14420.62	9471.5	16939.27	10189.04	10850.51	560.63
5	आंध्र प्रदेश	9323.38	6635.97	6268.19	8398.98	7002.96	3025.42
6	तेलंगाना	7665.02	5242.76	5367.07	4178.27	2945.02	3983.33
7	उत्तर प्रदेश [ख]	-	-	-	9.09	189.07	
8	पश्चिम बंगाल	5421.34	6580.11		8899.88	11734.92	208.52
9	छत्तीसगढ	9047.77	7574.81	5236.13	5695.55	5063.63	108.53
10	उत्तराखंड	1554.43	1212.25	724.39	1159.26	764.32	
11	हिमाचल प्रदेश [ग]	-	-	47.38	-	-	12.4
12	तमिलनाडु	6250.93	8685.95	7072.53	6033.9	7763.16	2144.9
13	ओडिशा	7892.69	7600.05	14473.68	9948.83	8517.4	2448.04
14	कर्नाटक	1682.12	2191.75	1222.13	1281.18	2180.6	899.44
15	गुजरात	749.43	311.54	267.83	138.87	1.97	
16	केरल	1777.86	1544.89	1151.85	1062.36	900.51	294.85
17	महाराष्ट्र	4082.07	2725.75	3923.29	327.74	3650.5	2.75
18	झारखंड	-	-	42.77	502.99	453.78	
19	त्रिपुरा	15.58	148.67	106.51	64.26	67.95	
20	डीबीटी [घ]	186.87	187.9	267.6	221.95	267.27	60.95
21	विविध [ड.]			0.54	0.33	1.06	1.97
22	उप-योग (राज्य + डीबीटी) क्रम 1 से 22	79789.54	72282.49	71733.36	70410.6	73919	16763.34
23	एफसीआई	208929	200219.2	139661	129089.4	153820.9	58491
24	**कुल (राज्य + डीबीटी + एफसीआई) क्रम 22 + 23**	**288718.5**	**272501.69**	**211394.4**	**199500**	**227739.9**	**75254.34**

अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, सभी एएवाई और पीएचएच लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाधान्न निःशुल्क वितरित किया गया।

क. असम केवल 2 जिलों के लिए डीसीपी राज्य है और इसने 2023-24 से डीसीपी प्रणाली अपनाई है।

ख. उत्तर प्रदेश ने खरीद की गैर- डीसीपी प्रणाली अपनाई है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा गेहूं और चावल के लिए कोई सब्सिडी जारी नहीं की जा रही है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटे अनाज के वितरण के लिए खाद्य सब्सिडी जारी की है।

ग. हिमाचल प्रदेश 2022-23 से डीसीपी राज्य है।

घ. डीबीटी योजना के तहत, 2015-16 से चंडीगढ़, पुददुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्रों को सब्सिडी जारी की जा रही है।

ड. विविध मदों में स्कैन के संवर्धन के लिए एनआईसीएसआई को भुगतान शामिल है।

अनुबंध–III

लोक सभा में दिनांक 12.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 4082 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	122.37	91.73	105.44	281.23	391.40
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	44.19	8.39	31.32	8.42
4.	असम	545.75	826.91	321.75	443.94	324.42
5.	बिहार	743.27	881.05	434.73	807.42	364.15
6.	चंडीगढ़	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	छत्तीसगढ	72.48	181.88	355.06	84.38	89.06
8.	दिल्ली	26.27	48.88	0.00	175.18	46.78
9.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1.01	1.55	0.87	1.89	0.00
10.	गोवा	2.66	4.69	5.67	0.00	7.73
11.	गुजरात	309.46	260.20	124.37	503.25	231.58
12.	हरियाणा	178.23	43.26	45.78	308.83	34.18
13.	हिमाचल प्रदेश	17.69	188.03	29.58	42.74	41.94
14.	जम्मू एवं कश्मीर	47.51	184.08	139.96	89.82	54.54
15.	झारखंड	282.50	187.02	99.64	101.25	431.25
16.	कर्नाटक	764.16	354.89	148.70	112.18	671.32
17.	केरल	121.00	110.03	403.63	72.07	84.69
18.	लद्दाख	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	मध्य प्रदेश	129.13	844.50	234.66	247.90	214.74
21.	महाराष्ट्र	289.72	621.69	703.54	765.27	439.10
22.	मणिपुर	81.19	31.54	36.46	0.00	29.41
23.	मेघालय	38.78	79.78	20.59	33.54	32.80
24.	मिजोरम	7.71	12.57	0.00	6.54	10.74
25.	नागालैंड	8.15	61.06	31.42	30.74	15.85
26.	ओडिशा	294.18	110.86	872.57	195.70	225.09
27.	पुद्दुचेरी	2.25	2.13	0.00	0.00	0.00
28.	पंजाब	51.08	0.00	50.06	263.05	53.18
29.	राजस्थान	585.84	406.77	479.15	257.65	311.15
30.	सिक्किम	7.59	12.33	3.85	3.85	8.11
31.	तमिलनाडु	131.65	543.01	145.90	524.60	92.66
32.	तेलंगाना	69.18	147.95	378.50	111.84	75.54
33.	त्रिपुरा	64.53	49.15	23.92	29.97	78.68
34.	उत्तर प्रदेश	195.77	1325.40	3213.86	614.57	683.67
35.	उत्तराखंड	67.19	379.83	58.71	106.01	79.38
36.	पश्चिम बंगाल	741.32	535.06	226.32	698.67	315.70
	जारी कुल	**6000.00**	**8572.03**	**8704.46**	**6945.39**	**5447.25**

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 12.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 4082 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान हटाए गए अपात्र राशन कार्डों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021	2022	2023	2024	2025
1	आंध्र प्रदेश	13,128	30,94,232	52,610	512	102
2	अंडमान और निकोबार	196	950	47	49,215	50,681
3	अरुणाचल प्रदेश	-	1,151	328	268	1,128
4	असम	11,120	28,590	38,590	1,61,516	24,381
5	बिहार	15,678	1,61,809	4,49,525	16,86,266	1,49,043
6	चंडीगढ़	-	684	2,291	207	2,401
7	छत्तीसगढ	10,400	20,715	29,108	57,371	60,496
8	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2,454	73	1	151	1,101
9	दिल्ली	448	116	3,686	61,292	11,438
10	गोवा	805	2,117	5,801	166	3,467
11	गुजरात	2,19,151	1,32,519	1,35,362	30,889	69,102
12	हरियाणा	-	1,96,174	8,49,972	3,28,557	1,34,3474
13	हिमाचल प्रदेश	2,538	3,299	7,551	9,673	7,400
14	जम्मू और कश्मीर	33,677	2,927	5,403	4,767	3,036
15	झारखंड	-	75,137	29,771	6,374	67,730
16	कर्नाटक	42,558	48,477	74,401	27,105	50,594
17	केरल	1,04,511	41,998	40,800	11,555	7,261
18	लद्दाख	614	30	58	615	764
19	लक्षद्वीप	33	38	89	88	32
20	मध्य प्रदेश	9,93,704	98,186	4,96,092	7,04,848	2,60,285
21	महाराष्ट्र	36,119	1,44,985	2,01,676	1,74,342	1,33,469
22	मणिपुर	9,411	30,493	9,684	7,215	6,515
23	मेघालय	-	402	1,612	449	102
24	मिजोरम	1,637	3,617	4,115	2,548	742
25	नागालैंड	-	3,428	3,177	3,924	1,347
26	ओडिशा	-	64,122	31,240	19,420	1,21,134
27	पुद्दुचेरी	1,731	538	847	898	763
28	पंजाब	3,305	1,52,497	1,23,722	7,520	2,290
29	राजस्थान	1,35,283	2,65,390	26,386	1,03,444	6,05,826
30	सिक्किम	-	458	0	604	2,116
31	तमिलनाडु	2,00,942	86,150	73,875	63,905	33,339
32	तेलंगाना	-	4,988	34,064	3,424	1,40,947
33	त्रिपुरा	1,100	1,254	800	467	4,334
34	उत्तर प्रदेश	7,19,213	9,99,100	7,00,138	8,41,123	5,97,012
35	उत्तराखंड	49,712	66,627	9,691	4,589	3,014
36	पश्चिम बंगाल	2,93,326	6,47,003	7,56,860	5,09,952	3,74,519
	सकल योग	29,02,794	63,80,274	41,99,373	48,85,259	41,41,385
